न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा राजस्व वाद 92/2021

वादी :— खेताराम पुत्र लिखमाराम जाति खारवाल निवासी मण्डापुरा
तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. विजयराज पुत्र शिवलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
2. ढलाराम पुत्र शिवलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
3. मोहनी देवी बेवा धनराज जाति खारवाल निवासी पचपदरा
4. राजू वल्द धनराज जाति खारवाल निवासी पचपदरा
5. राधेश्याम पुत्र धनराज जाति खारवाल निवासी पचपदरा
6. शारदा देवी पत्नी ओमाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
7. हुआदेवी पत्नी धनराज जाति खारवाल निवासी पचपदरा
8. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
9. मदनलाल पुत्र भंवरलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
10. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
11. पुष्पा पत्नी भंवरलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
12. मांगीलाल पुत्र दुर्गाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
13. चम्पालाल पुत्र दुर्गाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा
15. राहुल गोदारा पुत्र हनुमानराम जाति खारवाल निवासी थोरियों की ढाणी
16. श्रीमती सोनाली पुत्र राहुल गोदारा जाति खारवाल निवासी थोरियों की ढाणी
17. रमेशदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी रेवाड़ा सण्डायचारणान
   तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

वाद हेतु खातेदारी अधिकारों की घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश अन्तर्गत धारा 88,189 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— 1. श्री बांकाराम चौधरी वकील वादी
2. श्री लाधूराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 2, 15 ता 17

निर्णय दिनांक :— 03.08.2022

वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के दादा स्वर्गीय हरीराम पुत्र मूलाराम के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा सं. 261 रकबा 54 बीघा, मे से 16 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा काश्त था स्व0 हरिराम के साथ साथ अन्य काश्तकारों रूपा वल्द नवला, रूपा वल्द पुरखा एवं सवा वल्द दुर्गा के नाम के साथ साथ कब्जा चला आ रहा था। जो कब्जा आज तक वादी परिवार का चला आ रहा है। हरिराम के फौत होने के बाद खसरा संख्या 261 रकबा 54 बीघा में से 16 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त लखमा पुत्र हरिराम का [illegible] कि वादी के पिताजी है। खसरा नं0 261 के नये खसरा नं0 121 बन[illegible] किया गया उक्त खसरान संख्या 121 रकबा 24 बीघा में से वादीगण के पिता का कब्जा 5 [illegible] पर था। जिसकी ताईद खसरा गिरदावरी संवत 2018 से 2021 तक खसरा गिरदावरी संवत 202[illegible] 2026 व 2028 से 2030 तक खसरा परिवर्तनशील संवत 2016, 2017. 2021 से साबित है। वादी के पिताजी के नाम से खसरा नं0 261 रकबा 5 बीघा भूमि वाके मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा के नाम से कब्जा काश्त के आधार पर एवंम् कब्जाधारियों के नाम बने राजस्व दस्तावेजात खसरा गिरदावरी खसरा परिवर्तनशील एवंम अस्थाई जमाबंदी अर्थात जमा निर्धारण एवंम् ढाल बांछ के आधार पर खातेदारी का अंकन वादी के

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:35 IST
Reason: SelfAttested

..ाजी के नाम दर्ज होना चाहिये था, लेकिन वादी के पिता लिखमा अनपढ़ व देहाती होने का फायदा उठाते हुए विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादीगण के पूर्व हकधारियों रूपा वल्द नवला, रूपा वल्द पुरखा एवं सवा पुत्र दुर्गा द्वारा उक्त कब्जे काश्त वाली कृषि आराजियात को अपने नाम से अमलदरामद करवा ली। प्रतिवादीगण के पूर्वज कर्ताखानदान सवा पुत्र दुर्गा ने खसरा नं0 261 के नये खसरा नं0 121 रकबा 24 बीघा में से कब्जा मात्र 19 बीघा पर था लेकिन सवा पुत्र दुर्गा ने जानबूझकर अपनें कब्जे से ज्यादा भूमि अपने भाईयों के नामदर्ज करवा ली गई उक्त दर्ज भूमि में से रकबा 5 बीघा भूमि वादी के पिताजी लखमा पुत्र हरिराम के कब्जे काश्त में थी जिसकी ताईद राजस्व दस्तावेजात भी कर रहे है। ऐसी स्थिति में सवा पुत्र दुर्गा द्वारा अपने कब्जे से ज्यादा रकबा अपने तथा अपने भाईयों के नाम करवाकर खातेदारी अपने नाम करवा ली जो वर्तमान में खसरा संख्या 1093/121, 1094/121, 1095/121, 1096/121, 1097/121 रकबा 24 बीघा है। को वादग्रस्त आराजियात से सम्बोधित किया जावेगा।

वक्त सेटलमेंट यानि विक्रम संवत 2011 अर्थात दिनांक 15.10.1955 को जो व्यक्ति जिस भूमि पर कृषि आराजियात पर काबिज था उस आराजियात रकबे का वह खातेदार काश्तकार माना गया है चाहे उसके नाम खातेदारी दर्ज हुई या नहीं ऐसी स्थिति में वादी के पूर्वज कर्ता खानदान हरिराम पुत्र मूलाराम जाति खारवाल का कब्जा काश्त खसरा नं0 261 रकबा 54 बीघा में से रकबा 16 बीघा पर था उसके फौत होने पर उनके जायन्दा पुत्र लखमा पुत्र हरिराम का कब्जा काश्त खसरा नं0 261 रकबा 5 बीघा पर था उसी अनुसार ही लखमा वल्द हरिराम के नाम से विक्रम संवत 2015– 2016, 2017, 2018 खसरा गिरदावरी के अनुसार 15 बीघा भूमि पर बाजरी जिन्स लखमा पुत्र हरिराम के नाम दर्ज है, जिसकी खसरा परिवर्तनशील संख्या 156 में दर्ज है किसी प्रकार विक्रम संवत 2020 से 2022 में भी काश्त एवं जिन्स रकबा 5 बीघा दर्ज है।इसी प्रकार विक्रम संवत 2023–2025 की खसरा गिरदावरी में उल्लेख किया गया तथा खसरा परिवर्तनशील एवं अस्थाई जमाबंदी परिवर्तनशील व ढाल बांछ संवत 2015, 2016, 2017 से भली भांति साबित है कि वादी के पिताजी लखमा वल्द हरिराम का कब्जा काश्त खसरा संख्या 261 नये खसरा नं. 121 रकबा 24 बीघा में से 5 बीघा पर कब्जा भली भांति साबित है। जो वर्तमान समय में खसरा नं0 1093/121 से 1097/121 में दर्ज रकबे में से 5 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 261 रकबा 54 बीघा के नये खसरा नं0 121 के नये खसरा 121, 1093 से 1097/121 है जिस में से वर्तमान वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा 121 में स्थित है तथा जिस पर वादी का कब्जा काश्त है जिसकी वर्तमान में खातेदारी धनराज, भंवरलाल, चम्पालाल, मांगीलाल, शिवलाल, पि0 दुर्गाराम के नाम दर्ज है इन्ही प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि में से 5 बीघा पर है, एवंम् उसी अनुरूप वादी को खातेदार घोषित किया जावे। वादी के पिताजी के कब्जे काश्त की भूमि में से 5 बीघा की खातेदारी प्रतिवादीगण के शिवा वल्द दुर्गा द्वारा अपने कब्जे काश्त से ज्यादा भूमि अपने नाम विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज करवाकर बन गये जबकि इन तीनों का [illegible] सम्पूर्ण भूमि पर कभी नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के पू[illegible] खातेदारी निरस्त करते हुए वादी को काश्तकार घोषित किया जावे।प्रति[illegible] सवा पुत्र दुर्गा के नाम आवंटित भूमि रकबा 5 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया ज[illegible] प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज होने एवं उनके द्वारा उक्त खेत का आगे बैचान करने की धमकी दिनांक 20.06.2021 को देने से बमुकाम मण्डापुरा पैदा हुआ।

मुतनाजा भूमि पर श्रीमान नयायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से दावा हाजा सुनने का अधिकार हाजा श्री न्यायालय को है, दावा अनदर म्याद पेश है।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:35 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

अन्त में निवेदन किया गया कि पुराने खेत खसरा नं0 261 नये खसरा नं0 121 रकबा 5 बीघा मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा का खातेदार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज सवा वल्द दुर्गा के नाम से जिस भूमि की खातेदारी हक प्रदान कर खातेदारी दर्ज करवा ली गई थी जिसके वर्तमान खसरा नं0 1097/121, 1096/121, 1095/121, 1094/121, 1093/121 में से रकबा 5 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जो एवम् प्रतिवादीगण के नाम रकबा 5 बीघा भूमि की खातेदारी निरस्त कर वादी के नाम घोषणा की जावे। एवं उसी अनुरूप अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। तथा वादी के हक में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर फरमाई जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि खेत खसरा नं0 261 के नये खसरा नं0 121 जिसके खसरा नं0 1093/121 से 1097/121 के रकबे में से 5 बीघा मौजा मण्डापुरा में हमारे वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 स्वंय या उसके प्रतिनिधि वादी के हक हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में कोई किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 की और से वकील श्री लाधुराम चौधरी उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1व 3 ता 13 को रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण राहुल गोदारा, सोनाली गोदारा, एवं रमेशदान की और से प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार कर नये पक्षकार के रूप में प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 संयोजित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 व 15 ता 17 की और से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी के द्वारा पूर्व खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया था वादी सु हाथो से नही आया है, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर दावा प्रस्तुत किया गया है वास्तव में खसरा संख्या 261 रकबा 54 बीघा भूमि संवत 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा सेटलमेंट करवाया गया, तब खसरा संख्या 190 रकबा 24 बीघा जिसका खातेदार रूपा वल्द पुरखा था, एवं नये खसरा नम्बर 190 रकबा 24 बीघा 12 बीघा 3 विस्वा जिसका खातेदार भीखा पुत्र जेठा बना जो संवत 2059 से 2062 की जमाबंदी से साबित है। एवं खसरा संख्या 121 रकबा 24 बीघा जिसके खातेदार शिवलाल वग्राह वल्द दुर्गा तथा खसरा नम्बर 190/996 रकबा 3–01 बीघा भूमि शिवलाल वगैराह वल्द दुर्गा के नाम खातेदारी दर्ज की गयी थी। एवं तत्पश्चात खसरा संख्या 190 रकबा 24 बीघा भूमि रूपाराम पुत्र बींजाराम की फौतगी पर नामान्तरकरण संख्या 1275 दिनांक 20.06.2010 को विरासत की स्वीकृति से मालाराम 1/2 एवं राधाकिशन, सोहन, पि0 बीजाराम व कमला पत्नी बींजाराम के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि का बैचान करने के कारण नामान्तरकरण संख्या 1921 दिनांक 18.04.2014 को बैचान स्वीकृति अनुसार क्रेतागण के नाम दर्ज की गई। उसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 2316 दिनांक 05.03.2019 उपहार स्वीकृति अनुसार दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 2331 दिनांक 27.03.2019 विभाजन सवीकृति से अमलदरामद किया गया। नामान्तरकरण संख्या 2345 दिनांक 18.05.2019 समर्पण स्वीकृति जरिये खसरा संख्या 2696/190 रकबा 6 बीघा मे से 12 विस्वा राजस्थान सरकार के नाम से अमलदरामद किया गया। नामान्तरकरण संख्या 2372 दिनांक 03.09.219 के द्वारा रूपान्तरण स्वीकृति वाणिज्यक दर्ज की गई।

नामान्तरकरण संख्या 2472 दिनांक 27.04.2020 बैचान स्वीकृति मालाराम के स्थान पर खसरा नम्बर 2695/190 क्रेतागण के नाम अमलदरामद किया गया। नामान्तरकरण संख्या 2617 दिनांक 05.01.2021 बैचान स्वीकृति पर खसरा नम्बर 2695/190 क्रेतागण के नाम अमलदरामद किया गया। नामान्तरकरण संख्या 2658 दिनांक 09.02.2021 जरिये समर्पण स्वीकृति अनुसार खसरा नम्बर 3066/190 रकबा 0–03–10 बीघा राजस्थान सरकार के नाम बिला कब्जा अमलदरामद किया गया। नामान्तरकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

2700 दिनांक 25.03.2021 विनिमय स्वीकृति अनुसार खसरा नम्बर 2696/190 रकबा 04–07 बीघा में से 2 बीघा गै.मु.औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का अमलदरामद किया गया।

इसी प्रकार खसरा संख्या 191 रकबा 12–03 बीघा भीखा वल्द जेठा के नाम दर्ज है, एवं भीखा द्वारा अपनी भूमि पारसमल पुत्र घीसूलाल कौम माली साकिन मालियों की ढाणी बैचान की गई जिसके खसरा नम्बर 2227/191 रकबा 3 बीघा दर्ज की गई मगर उक्त सभी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे वादी का दावा काबिल खारिज योग्य है।

वादी के पिता लिखमाराम की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नही बनाने से वाद–पत्र खारिज योग्य है। विधिक आपत्ति के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 261 रकबा 54 बीघा भूमि संवत 2024 में सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 121, 190, 191, 190/996 सेटलमेंट विभाग द्वारा बनाये गये एवं वादी के द्वारा अपने नाम खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया उसमें बिना किसी आधार के अपनी खसरा नम्बर 261 की 5 बीघा भूमि खसरा नमबर 121 के खातेदारों के नाम दर्ज होने का उल्लेख कर प्रस्तुत किया गया , एवं दावा 121 रकबा 24 बीघा के खातेदारों को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया गया, जो काबिल खारिज हैं। वादी द्वारा जानबूझकर अपने दावे में खसरा संख्या 261 रकबा 54 बीघा भूमि संवत 2024 में सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 121, 190, 191, 190/996तथा उनके अलग अलग रकबा निर्धारित किया गया, उसी माफिक नक्शा में तरमीम की गयी है।आवश्यक पक्षकारान को दावे में पक्षकार नही बनाया गया हैं वादी के द्वारा अदालत को गुमराह किया गया है, जिससे वादी का दावा काबिल खारिज है।

अंत में निवेदन किया गया कि वादी के वाद पत्र में सभी पदो के तथ्यों को गलत एवं अस्वीकार करते हुए वादी की उचित प्रार्थना है जो काबिल खारिज के है, वादी का दावा गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर आधारहीन होने से काबिल खारिज के है।

वाद पत्र में निम्नांकित तनकीयात कायम की गई:–

1. आया पुराने खेत खसरा नम्बर 261 नये खसरा नम्बर 121 रकबा 5 बीघा वादग्रस्त आराजी खातेदारी घोषणा कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा पाने का वादी अधिकारी है?

   जिम्मे वादी

2. वादी का दावा गलत तथ्यों के आधार पर आधारहीन होने से काबिल खारिज करने योग्य है?

   जिम्मे प्रतिवादीगण

3. अन्य दादरसी

वादी की और से साक्षी वादी में मुख्य परीक्षा स्वरूप खेताराम वादी स्वंय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।जिसकी जिरह प्रतिवादीगण वकील के द्वारा की गई। जिसमें यह बात सही है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 15 ता 17 की भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नहीं है, न हीं इनके हक हिस्से की भूमि लेना चाहता हूँ। प्रतिवादी संख्या 2, 15 ता 17 की खातेदारी भूमि 16–04 बीघा है, जिसमें उसका कोई हक हिस्सा नहीं है। यह बात सही है कि धनराज, की खातेदारी [illegible] 121/1 व मांगीलाल की खातेदारी खसरा संख्या 121/2 व [illegible] 121 की कुल 8–12 बीघा भूमि में से उसकी 5 बीघा है, जिसकी खातेदारी प्राप्त करना चाहता है।

प्रतिवादीगण की और से साक्षी प्रतिवादीगण नहीं कराने के निवेदन पर हमनें दोनों पक्षों की बहस गयी एवं वादी की और से बहस के दौरान न्याय द्बष्टान्त 1. एआईआर 1954 सर्वोच्च न्यायालय 355, 2. 2012 डब्लूएलसी 489, 3. 1983 आरआरडी 240, 4. 1990 आरआरडी 629, 5. 1978 आरआरडी 90 खण्ड पीठ, 6. 1987 आरआरडी 202 हेडनोट सी राज0 उच्च न्यायालय, 7. 1963आरआरडी 71 हेडनोट ए खण्डपीठ की प्रतियां प्रस्तुत की गयी। और वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:35 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया गया कि वादी के वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 2, 15 ता 17 के हक हिस्से की खातेदारी भूमि में से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं करना चाहता है, इसलिये उनके हक हकूको तक कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जावे।

हमनें पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेंजात की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श दस्तावेजात प्रदर्श 1 ता 21 तथा वादी की और से बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये न्याय द्वष्टान्तों का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार किया गया।

तनकी संख्या 1 आया पुराने खेत खसरा नम्बर 261 नये खसरा नम्बर 121 रकबा 5 बीघा वादग्रस्त आराजी खातेदारी घोषणा कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा पाने का वादी अधिकारी है? इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी के दादा स्वर्गीय हरीराम पुत्र मूलाराम के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा सं. 261 रकबा 54 बीघा, मे से 16 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा काश्त था स्व0 हरिराम के साथ साथ अन्य काश्तकारों रूपा वल्द नवला, रूपा वल्द पुरखा एवं सवा वल्द दुर्गा के नाम के साथ साथ कब्जा चला आ रहा था। जो कब्जा आज तक वादी परिवार का चला आ रहा है। हरिराम के फौत होने के बाद खसरा संख्या 261 रकबा 54 बीघा में से 16 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त लखमा पुत्र हरिराम का दर्ज हुआ जो कि वादी के पिताजी है। खसरा नं0 261 के नये खसरा नं0 121 बना तथा उसका रकबा 24 बीघा दर्ज किया गया उक्त खसरान संख्या 121 रकबा 24 बीघा में से वादीगण के पिता का कब्जा 5 बीघा पर था। जिसकी ताईद खसरा गिरदावरी संवत 2018 से 2021 तक खसरा गिरदावरी संवत 2023 से 2026 व 2028 से 2030 तक खसरा परिवर्तनशील संवत 2016, 2017, 2021 से स्पष्ट बखुबि साबित है। वादी के पिताजी के नाम से खसरा नं0 261 रकबा 5 बीघा भूमि वाके मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा के नाम से कब्जा काश्त के आधार पर एवंम् कब्जाधारियों के नाम बने राजस्व दस्तावेजात खसरा गिरदावरी खसरा परिवर्तनशील एवंम अस्थाई जमाबंदी अर्थात जमा निर्धारण एवंम् ढाल बांछ के आधार पर खातेदारी का अंकन वादी के पिताजी के नाम दर्ज होना चाहिये था, लेकिन वादी के पिता लिखमा अनपढ व देहाती होने का फायदा उठााते हुए विधि विरूद्व तरीके से प्रतिवादीगण के पूर्व हकधारियों रूपा वल्द नवला, रूपा वल्द पुरखा एवं सवा पुत्र दुर्गा द्वारा उक्त कब्जे काश्त वाली कृषि आराजियात को अपने नाम से अमलदरामद करवा ली। प्रतिवादीगण के पूर्वज कर्ताखानदान सवा पुत्र दुर्गा ने खसरा नं0 261 के नये खसरा नं0 121 रकबा 24 बीघा में से कब्जा मात्र 19 बीघा पर था लेकिन सवा पुत्र दुर्गा ने जानबूझकर अपनें कब्जे से ज्यादा भूमि अपने भाईयों के नामदर्ज करवा ली गई उक्त दर्ज भूमि में से रकबा 5 बीघा भूमि वादी के पिताजी लखमा पुत्र हरिराम के कब्जे काश्त में थी जिसकी ताईद राजस्व दस्तावेजात भी कर रहे है। ऐसी स्थिति में सवा पुत्र दुर्गा द्वारा अपने कब्जे से ज्यादा रकबा अपने तथा अपने भाईयों के नाम करवाकर खातेदारी अपने नाम करवा ली जो वर्तमान में खसरा संख्या 1093/121, 1094/121, 1095/121, 1096/121, 1097/121 रकबा 24 बीघा है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खस[illegible] संवत 2018 एवं पर्चा लगान के अनुसार के अनुसार शिवलाल [illegible] जाना उचित था। इसकी पुष्टि भू–प्रबन्ध सेटलमेंट विभा[illegible] स्पष्ट अंकन किया गया कि शिवलाल अकेले के नाम दर्ज होना उचित है। इससे स[illegible] है कि वादी की खातेदारी अन्य सह खातेदार के नाम से दर्ज हो गयी। वे कभी भी सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त आराजी के काश्तकार नहीं थे। सेटलमेंट के अधिकारियों के द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार खातेदारी दर्ज नहीं की गई। खसरा गिरदावरी नकलों में वादी के दादा हरिराम के नाम से वक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

सेटलमेन्ट से पूर्व कब्जा काश्त दर्ज है। जिरह प्रतिवादीगण वकील के द्वारा की गई। जिसमें यह बात सही है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 15 ता 17 की भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नहीं है, न हीं इनके हक हिस्से की भूमि लेना चाहता हूँ। प्रतिवादी संख्या 2, 15 ता 17 की खातेदारी भूमि 16–04 बीघा है, जिसमें उसका कोई हक हिस्सा नहीं है। यह बात सही है कि धनराज, की खातेदारी खसरा नम्बर 121/1 व मांगीलाल की खातेदारी खसरा संख्या 121/2 व चम्पालाल की खातेदारी 121/3 की कुल 8–12 बीघा भूमि में से उसकी 5 बीघा है, जिसकी खातेदारी प्राप्त करना चाहता है। वादी के द्वारा धनराज के खेत खसरा नम्बर 121/1 रकबा 5–05 बीघा, मांगीलाल के खेत खसरा नम्बर 121/2 रकबा 5–05 बीघा तथा चम्पालाल के, खसरा नम्बर 121/3 रकबा 5–05 बीघा कुल रकबा में से वादी अपनी वादग्रस्त 5 बीघा आराजी होना बताया गया है, जिनके वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1094/121 रकबा 5–08 बीघा तथा खसरा नम्बर 1095/121 रकबा 5–08 बीघा, 1096/121 रकबा 5–08 बीघा तीन खसरों में से 5–00 बीघा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वक्त सेटलमेन्ट पूर्व होना जाहिर किया गया है। अधिवक्ता वादी की ओर से अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक द्बष्टान्त पेश किये गये है:–

1. एआईआर 1954 सर्वोच्य न्यायालय 355 हडनोट ई पेरा संख्या 12 (यदि किसी भी व्यक्ति का एक बार मौके पर कब्जा साबित है तो उसका निरन्तर कब्जा अवधारित किया जावेगा, जब तक कि उसे बेदखल किये जाना प्रमाणित नहीं हो)
2. 1978 आरआडी 90 पेरा 4 खण्डपीठ (खसरा गिरदावरी के कॉलम सं 6 में दर्ज व्यक्ति को टिनेन्ट माना जावेगा)
3. 1987 आरआरडी 202 हेडनोट सी राज. उच्च न्यायालय (गैर बापीदार की हैसियत गैर–खातेदार के अनुरूप के अनुरूप मानी जाती है।)
4. 1963 आरआरडी 71 हेडनोट ए खण्डपीठ (गिरदावरी में जिस व्यक्ति के नाम की काश्त दर्ज है तथा जिस व्यक्ति के खिलाफ भूमि का लगान निर्धारित किया जावे, उसकी प्रास्थिति खातेदार के समान ही मानी जावेगी)

वादी तनकी संख्या 1 के समर्थन में वादी के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक द्बष्टान्त स्पष्ट रूप से चस्पा होते है,

इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 को वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या दो वादी का दावा गलत तथ्यों के आधार पर आधारहीन होने से काबिल खारिज करने योग्य है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 2, 15 ता 17 के उपर था, इनके द्वारा वादी की जिरह में उनके हितों के विरूद्ध वादी के द्वारा कोई इस्तदुआ प्राप्त करना नहीं जाहिर किया गया है। इसलिये प्रतिवादीगण के द्वारा साक्षी प्रस्तुत नहीं की गई । प्रतिवादीगण संख्या 2, 15 ता 17 के हितों तक ही [illegible] करने में सफल रहे है, शेष तथ्यों के बारे उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं [illegible] है, न ही प्रदर्श करवाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण [illegible] किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। लिहाजा वादी के द्वारा अपने हितार्थ हक हकूकों के लिये बखुबि साबित किया गया है। तनकी संख्या दो को वादी के पक्ष में तनकी संख्या 1 निर्णीत हो जाने से तनकी संख्या 2 में वादी की और से प्रस्तुत दावा गलत तथ्यों के आधार पर आधारहीन होने से काबिल खारिज करने योग्य नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 2 व 15 ता 17

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:35 IST
Reason: SelfAttested

जरूरी नहीं है [illegible] साबित करने में असफल रहे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर [illegible] संख्या 2 से 13, 17 के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible] के खेत खसरा नम्बर 121/1 रकबा 5.08 बीघा, खेत खसरा नम्बर 121/2 रकबा 5.08 बीघा तथा खसरा नम्बर 121/3 रकबा 5.08 बीघा कुल रकबा में से वादी अपने हिस्सानुसार 5 बीघा [illegible] है। जिसके वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1084/121 रकबा 5.08 बीघा तथा खसरा नम्बर 1085/121 रकबा 5.08 बीघा, 1086/121 रकबा 5.08 बीघा कुल तीन खसरों की भूमि में से समान अनुपात में 5.08 बीघा [illegible] वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 से 13 व 17 के हक हिस्से की खातेदारी भूमि में से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं करना चाहता है, इसलिये उनके हक हकूक तक कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जाती है। तहसीलदार [illegible] इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद दर्ज करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.) [illegible]

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.) [illegible]
(SDO) [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:35 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर .. ..)

(Civil Procedure Code Appendeix 'd' 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

मुकदमा राजस्व वाद 92/2021

वादी :– खेताराम पुत्र लिखमाराम जाति खारवाल निवासी मण्डापुरा
तह० पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. विजयराज पुत्र शिवलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
2. ढलाराम पुत्र शिवलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
3. मोहनी देवी बेवा धनराज जाति खारवाल निवासी पचपदरा
4. राजू वल्द धनराज जाति खारवाल निवासी पचपदरा
5. राधेश्याम पुत्र धनराज जाति खारवाल निवासी पचपदरा
6. शारदा देवी पत्नी ओमाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
7. हुआदेवी पत्नी धनराज जाति खारवाल निवासी पचपदरा
8. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
9. मदनलाल पुत्र भंवरलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
10. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
11. पुष्पा पत्नी भंवरलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा
12. मांगीलाल पुत्र दुर्गाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
13. चम्पालाल पुत्र दुर्गाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा
15. राहुल गोदारा पुत्र हनुमानराम जाति खारवाल निवासी थोरियों की ढाणी
16. श्रीमती सोनाली पुत्र राहुल गोदारा जाति खारवाल निवासी थोरियों की ढाणी
17. रमेशदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी रेवाड़ा सण्डायचारणान
    तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

वाद हेतु **खातेदारी अधिकारों की घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश अन्तर्गत धारा 88,189 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री बांकाराम चौधरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दायलाह श्री लाधुराम चौधरी वकील पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर मौजा मण्डापुरा के खेत खसरा नम्बर 121/1 रकबा 5–05 बीघा , खेत खसरा नम्बर 121/2 रकबा 5–05 बीघा तथा खसरा नम्बर 121/3 रकबा 5–05 बीघा कुल रकबा में से वादी अपनी वादग्रस्त 5 बीघा आराजी है, जिनके वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1094/121 रकबा 5–08 बीघा तथा खसरा नम्बर 1095/121 रकबा 5–08 बीघा, 1096/121 रकबा 5–08 बीघा कुल तीन खसरों की भूमि में से समान अनुपात में 5–00 बीघा वादग्रस्त आराजी में वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 2, 15 ता 17 के हक हिस्से की खातेदारी भूमि में से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं करना चाहता है, इसलिये उनके हक हकूको तक कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जाती है। तहसीलदार पचपदरा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद दर्ज करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।** खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को बीज मुबलिग बाबत अदा करे। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.08.2022 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	4.00		स्टाम्प अरजीदावा	1.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		
	5			1.00	

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:35 IST
Reason: SelfAttested